

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-111-103(0001)/2014-72/आ0 दिनांक: 24.11.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 कार्यालय व्यय इकाई अन्तर्गत ₹ 7,50,000.00 (सात लाख पचास हजार) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए हैं। जिसे निम्न प्रकार स्तम्भ (2) में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	पूर्व में आवंटित 13 01 कार्यालय व्यय की राशि (₹ में)	वर्तमान में आवंटित 13 01 कार्यालय व्यय की राशि (₹ में)	कुल आवंटित 13 01 कार्यालय व्यय की राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर	10,52,392.00	0.00	10,52,392.00
2	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	3,18,428.00	0.00	3,18,428.00
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा	3,85,000.00	0.00	3,85,000.00
4	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	6,26,322.00	0.00	6,26,322.00
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	6,70,536.00	0.00	6,70,536.00
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर	3,04,215.00	0.00	3,04,215.00
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, असरगंज	2,32,107.00	0.00	2,32,107.00
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	2,80,000.00	0.00	2,80,000.00
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	2,30,000.00	0.00	2,30,000.00
10	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	0.00	7,50,000.00	7,50,000.00
योग:-		40,99,000.00	7,50,000.00	48,49,000.00

2. आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-103 निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण - 0001- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची की 13 01 कार्यालय व्यय इकाई में वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001030001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561 वि0(2) दिनांक: 17.04.1998 पत्रांक: -ब-17/बी0 एस0जी0-07/2014-253(वि0) दिनांक: 11.03.2014 एवं पत्रांक: ब-17/बी0 एस0जी0-07/2014-310 दिनांक: 28.03.2014 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेश तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्तीय नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. यह राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्वाचक नामावली मुद्रण, प्रकाशन, निर्माण इत्यादि पर हुए व्यय के भुगतान हेतु आवंटित है। इस राशि में से पूर्व वित्तीय वर्षों के किसी प्रकार के बकाया का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का मतलब व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. आवंटित राशि का भुगतान किये जाने से पूर्व संबंधित फर्म/व्यक्ति से नियमानुसार आयकर/बिक्री कर/वैट (VAT) की कटौती करते हुए संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाये।
9. भुगतान पाने वाले प्रतिष्ठान/व्यक्ति यदि सेवाकर प्रदाता हैं तो उनके विपत्र पर सेवाकर निबंधन संख्या/सेवाकर कोड एवं लेखा कोड अंकित है या नहीं इस संबंध में सुनिश्चित होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाये।
11. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 3 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि0, दिनांक:

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक:/नि0, दिनांक:

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, -सह-सरकार के प्रधान सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 72/आ0 दिनांक 24.11.2014 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 2063/नि0, दिनांक: 14/12/14

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।